

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज<br>प्रकरण सं. 11/2025, जी.सी.एम.एस नं. 2025/114<br>श्री नरेश तलदार बनाम प्राधि.अधि. आयुक्त नगर परिषद व अन्य<br>अन्तर्गत धारा 90क (9) राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956  | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तामिल में<br>जारी हुए |
|-------------|---|--|
| 27.03.2026  | <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलांट स्वयं, रेस्पोंडेंट सं. 1 की ओर से उनके अधिवक्ता, रेस्पोंडेंट सं. 5,6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोंडेंट्स 5,6 के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोंडेंट सं. 5,6 की ओर से दिनांक 22.01.2026 को प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया कि राजस्थान सरकार नगरीय विकास की अधिसूचना क्रमांक प 3 (50) नविवि/ 3/2012 जयपुर दिनांक 20 अप्रैल 2017 अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की उपधारा (9) के अन्तर्गत अपील के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया है। अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से निरस्ती योग्य है।</p> <p>दिनांक 17.03.2026 को प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उपस्थित अपीलांट व उपस्थित रेस्पोंडेंट्स के अधिवक्तागणों को सुना गया। रेस्पोंडेंट 5,6 के अधिवक्ता ने कथन किया कि सयुक्त शासन सचिव तृतीय, नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प 3(50)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 20 अप्रैल 2017 अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की उपधारा (9) के अन्तर्गत अपील के निस्तारण हेतु संबंधित संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।</p> <p>अपीलांट ने कथन किया कि उक्त परिपत्र अनुसार यह अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त को है, जिससे वह सहमत है किन्तु आपत्तिकर्ता रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता का यह कथन कि अपील अपीलार्थी निरस्त की जावे जिस पर अपीलांट ने असहमति व्यक्त की।</p> <p>हमने प्रारंभिक आपत्ति पर उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सयुक्त शासन सचिव तृतीय, नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प 3(50)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 20 अप्रैल 2017 अनुसार अपील को सुनने का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से प्राथमिक पत्र रेस्पोंडेंट सं. 5,6 आंशिक स्वीकार करते हुए सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु यह अपील अपीलांट को लौटाई जाती है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार हो।</p> | <p>3/27/2026<br/>27/3/26</p>                                   |

जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)